

संख्या: 1734/सत्रे-मो-2012-11-1-दि 21/2006

प्रेषक,

क्षेत्रपाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2012

विषय:- केन्द्र पुरी निधानित मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 346/नि0शा0/2012-13 दिनांक 25-07-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा केन्द्र पुरी निधानित मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना-न्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यांश के रूप में कुल 1,25,000/- मत्स्य पालकों के बीमा आच्छादन हेतु रूपया 18,12,000/- (रुपये अठारह लाख बारह हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर "फिशक्रॉफेड" को उपलब्ध कराने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

- 1.1 उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा निष्कृत झु होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय ।
- 1.2 धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशक्रॉफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा ।
- 1.3 उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।
- 1.4 व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2. उपरोक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13

- आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन
- 1 आयाजनागत-800-अन्य व्यय, 01-केन्द्रीय आयाजनागत/केन्द्र द्वारा पुरी निधानित योजनायें-0102-मछुआ समुदाय की मछुआ दुर्घटना बीमा योजना
- 1 के050/रा050, के01रा01 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा ।

... 2 ...

श्री. वि. पी. सिंह
23/8/2012
श्री. वि. पी. सिंह
श्री. वि. पी. सिंह

90
JDF
2A
21-8-12
को. सि. शा.
उप. सचिव
108/12
FCI
संयुक्त निदेशक मत्स्य

को. श्रीवास्तव
मत्स्य (आयाजनागत)

3. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय द्वारा संख्या: बी-1-1685/वस-16/1992, दिनांक 07-07-1992 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



। क्षेत्रपाल ।

उप सचिव ।

2

संख्या: 1734/11/सत्रह-मो-2012 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 2- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, प्रभुमाल डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वित्त एवं लेखा अधिकारी, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ ।
- 5- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मार्गदित) नई दिल्ली ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन-3/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ ।
- 8- गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,



। क्षेत्रपाल ।

उप सचिव ।